उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या: 22/2015/251/43-1-2015-3(6)/2010
लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2015

कार्यालय- ज्ञाप

श्री कृष्ण पाल, समीक्षा अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग जो दिनांक 31 मई, 2015 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है। इनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश संचित है। अतएव वित्त (सामान्य)अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:-4-1327/20-2000/77, 18 जनवरी,1979 सपठित शासनादेश संख्या:023/दस-85-205/84 दिनांक 14-06-1985 व शासनादेश संख्या:-4-1071/दस-2001/76 दिनांक 21-03-1992 एवं शासनादेश संख्या:-सा-4-383/दस-99-2000/88 दिनांक 01-07-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री कृष्ण पाल, समीक्षा अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग को 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

2- उक्त नकदीकरण का भुगतान श्री कृष्ण पाल, समीक्षा अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग को किया जायेगा । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिनों की सीमा के अन्दर है ।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या:-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुटटी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-02- दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त हित लाभ " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव

संख्या:22/2015/251(1)/43-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी,लेखा,प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्री कृष्ण पाल, समीक्षा अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग, निवासी E S 1-B/103 सीतापुर रोड योजना, सेक्टर-ए, अलीगंज, लखनऊ, निकट इन्जीनियरिंग कालेज, लखनऊ। (मोबाईल नम्बर-9454413492)
5- अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनुसचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।